वरीय प्रभारी पदाधिकारी 1885
शाखा.......

पत्रांक-एम-4-36/2013.....12124...../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक 3/XII/13.....

प्रेषक,

जयन्त कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- योजना/गैर योजना मद की राशि बैंक में संचित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

1265
04/12/13

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र सं०-11186 दिनांक 30.10.2013 द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना/गैर योजना मद की राशि की निकासी कर बैंक खाते में संचित करने के सम्बन्ध में कतिपय निदेश देते हुए विहित प्रपत्र में विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । वांछित प्रतिवेदन/विवरण अभीतक अप्राप्त है ।

इसी सन्दर्भ में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराया जाय कि:-

(1) जिले में बैंक खातों में किस-किस मद की राशि, किस वित्तीय वर्ष की तथा किसके आदेश से रखी गयी है ?

(2) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कौन है ?

(3) वित्तीय नियमों के आलोक में खाता संचालन/व्यय के दौरान वित्तीय नियमों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं ?

अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(जयन्त कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)

ज्ञापांक 1210-2 /स्था०, मधेपुरा, दिनांक 07-12-2013,

प्रतिलिपि :- सभी कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

जिला स्थापना उप-समाहर्त्ता,
मधेपुरा ।

7/12/13

Pramod/sec-4/3